

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठारीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 160/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/465

वादीगण
टीकमाराम पुत्र रूपाराम
जाति मेघवाल
निवासी खनोड़ा तहसील पाटोदी
व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

- 1.अमलाराम पुत्र जोगाराम
- 2.घमण्डाराम पुत्र जोगाराम
- 3.चम्पाराम पुत्र जोगाराम
- 4.बरतीराम पुत्र जोगाराम
- 5.सोनाराम पुत्र जोगाराम
- 6.चेनी पुत्री नेमाराम
- 7.मोहनीदेवी पुत्री नेमाराम जाति मेघवाल
निवासी खनोड़ा तहसील पाटोदी
- 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री भूपेन्द्र गहलोल अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 4
3. श्री जयदीपसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 व 7
4. प्रतिवादी संख्या 1,3,5 व 8 एकतरफा।



निर्णय

दिनांक- 23/05/2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा खनोड़ा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 170 रकबा 10.8051 हैक्टर एवं ग्राम साधुनी पुरोहितान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 48,53,69 व 58 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 10.2.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पाटोदी को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम खनोड़ा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 170 रकबा 10.8051 हैक्टर एवं ग्राम साधुनी पुरोहितान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 48,53,69 व 58 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बचि-ह
1	टीकमाराम पुत्र रूपाराम जाति मेधवाल सा.देह खातेदार	साधुनी पुरोहितान	69	0.1376	बा.दोयम	0.13	A
			48	0.7538	बा.सोयम	0.55	
			53	2.4955	बा.सोयम	1.84	
		खनोड़ा	170	3.6017	बा.दोयम	2.67	
		घोलानाड़ा	58	0.2022	बा.सोयम	0.11	
2	चैनीदेवी मोहनीदेवी पुत्रिया नेमाराम जाति मेधवाल सा. देह खातेदार	साधुनी पुरोहितान	48	0.8914	बा.सोयम	0.68	B
			53	2.4956	बा.सोयम	1.84	
		खनोड़ा	170	3.6017	बा.दोयम	2.67	
		घोलानाड़ा	58	0.2023	बा.सोयम	0.11	
3	अचलाराम धमडाराम चम्पाराम बस्तीराम पि. जोगाराम जाति मेधवाल सा.देह खातेदार	साधुनी पुरोहितान	48	0.8914	बा.सोयम	0.68	C
			53	2.4956	बा.सोयम	1.84	
4	टीकमाराम पुत्र रूपाराम चैनीदेवी मोहनीदेवी पुत्रिया नेमाराम अचलाराम धमडाराम चम्पाराम बस्तीराम पि.जोगाराम जाति मेधवाल सा.देह खातेदार	साधुनी पुरोहितान	48	0.1100	बा.सोयम (रास्ता हेतु)	0.08	D
5	अचलाराम धमडाराम चम्पाराम बस्तीराम सोनाराम पि.जोगाराम झीमो पत्नि जोगाराम जाति मेधवाल सा.देह खातेदार	खनोड़ा	170	3.6017	बा.दोयम	2.67	C
		घोलानाड़ा	58	0.2023	बा.सोयम	0.12	

तहसीलदार,पाटोदी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में




साहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

धिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23/05/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
23/05/2025

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 160/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/465

वादीगण
टीकमाराम पुत्र रूपाराम
जाति मेघवाल
निवासी खनोड़ा तहसील पाटोदी
व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1. अचलाराम पुत्र जोगाराम
2. घमण्डाराम पुत्र जोगाराम
3. चम्पाराम पुत्र जोगाराम
4. बस्तीराम पुत्र जोगाराम
5. सोनाराम पुत्र जोगाराम
6. चेनी पुत्री नेमाराम
7. मोहनीदेवी पुत्री नेमाराम जाति मेघवाल
निवासी खनोड़ा तहसील पाटोदी
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 160/2024

निर्णय दिनांक :- 23.5.2025

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से श्री जयदीपसिंह भाटी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 23.05.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 23.05.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

23/05/2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़
	-----		-----



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा